

पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र  
Certificate of Registered Document.

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at '[www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com)' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Company of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

लीज़ डीड / किरायनामा वास्ते अवधि 28 वर्ष

कार्यालय का नाम :- उपनिबंधक सदर सहारनपुर

वार्षिक किराया :- 1,000/- रुपये प्रति वर्ष

औसत वार्षिक किराया :- 1,000/- रुपये

मूल्यांकन :- 6,000/- रुपये (औसत वार्षिक किराये के 06 गुणांक के अनुसार)

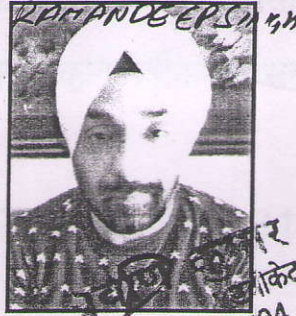
स्टाम्प शुल्क अंकन 300/- रुपये (मूल्यांकन पर 04 प्रतिशत की दर से)

मियाद :- 28 वर्ष यानि 01/08/2023 ई० से 01/08/2051 ई० तक

फोटो मिलानकर्ता :-



सर्वप्रथम कुमार  
एडवोकेट  
रजि० 5674/04  
मिडिल कोर्ट सहारनपुर



रमेश कुमार  
एडवोकेट  
रजि० 5674/04  
मिडिल कोर्ट सहारनपुर

JASIR SINGH BAJAJ



जसर कुमार  
एडवोकेट  
रजि० 5674/04  
मिडिल कोर्ट सहारनपुर

हम की 1-श्री सरदार इकबाल सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी मौहल्ला पटेल नगर

सहारनपुर हाल निवासी मकान संख्या 50 B बसंत विहार सहारनपुर

आधार संख्या XXXX XXXX 9152 मौ०:-9319081082

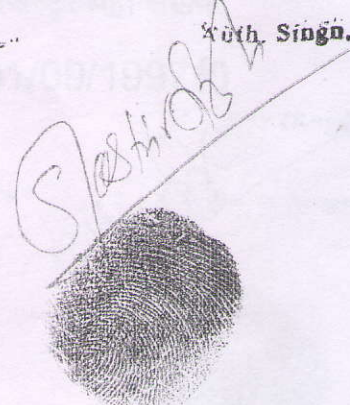
पेन संख्या :- ACCPB0796Q

For Khalsa Educational Society (Regd.)

Aut.

Koth. Singo.

5/11/19



2- श्री रमन दीप सिंह पुत्र श्री सरदार इकबाल सिंह निवासी पटेल नगर सहारनपुर हाल  
निवासी C-50 दिल्ली रोड वसंत विहार सहारनपुर  
आधार संख्या XXXX XXXX 8873 पेन संख्या :-AGBPS5951M  
मौ0:-9760007583

.....प्रथम पक्ष मालिक जायदाद

व

खालसा एजुकेशनल सोसाइटी (KHALSA EDUCATIONAL SOCIETY)  
पता खालसा गार्डन नवीन नगर सहारनपुर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या  
439/1999-2000 दिनांक :-22/11/1999ई0 PAN N0:-AAAANK6491N  
द्वारा अधिकृत अधोहस्ताक्षरी प्रबंधक श्री जसबीर सिंह बजाज पुत्र श्री सरदार सिंह बजाज  
निवासी निकट खालसा पब्लिक स्कूल नवीन नगर सहारनपुर आधार संख्या XXXX  
XXXX 9940  
पेन संख्या :-ACCPB0798A मौ0:-9358311435

.....द्वितीय पक्ष किरायेदार

जो की हम प्रथम पक्ष निम्नलिखित संपत्ति के मालिक व काबिज है और निम्नलिखित  
संपत्ति की आराजी को प्रथम पक्ष संख्या 01 के द्वारा बजरिये बैनामा इकरारी अनिल कुमार  
मौरखा :-18/07/1996ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या 01 जिल्द 20 के पेज 01 से  
24 क्रमांक 2172 दिनांक :-18/07/1996ई0 व प्रथम पक्ष संख्या 02 द्वारा बजरिये  
बैनामा इकरारी अनिल कुमार मौरखा :-21/08/1997ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या  
01 जिल्द 3952 के पेज 195 से 216 क्रमांक 2419 दिनांक :-01/09/1997ई0

For

City (Regd.

Auth, Sing,

Auth, Sing,

5 म. बा. ललिह



For



Auth, Sing,



में दफ्तर सब रजिस्ट्रार सहारनपुर में हुयी के खरीद की हुयी है जिसके सम्बन्ध में हम प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार मालकाना व इस्तेमाल तथा किराये/लीज आदि पर देने के प्राप्त है। लिहाजा द्वितीय पक्ष की इच्छा पर प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित संपत्ति को द्वितीय पक्ष को किराये/लीज पर देना तय किया है जिसमें निम्नलिखित शर्तें करार पायी है। जिनके फर्कें व उनके वारसान व कायम मुकामान पूर्ण रूप से पाबंद व जिम्मेदार रहेंगे।

1-यह की प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित संपत्ति को 28 वर्ष यानि दिनांक 01/08/2023ई0 से आगामी 11 माह यानि 01/08/2051ई0 तक के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर दे रहे है और निम्नलिखित संपत्ति पर द्वितीय पक्ष का कब्जा बतौर किरायेदार के मौके पर करा दिया है।

2-यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित संपत्ति पर बतौर किरायेदार के काबिज रहकर उसे खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के कार्यो हेतु इस्तेमाल में लाएगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे ध्वनि प्रदूषण पैदा हो या जो गैर कानूनी हो, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

3-यह की द्वितीय पक्ष हर वर्ष के जनवरी माह की एक (1) तारीख से सात (7) सात तारीख तक जरे किराया अंकन 1,000/- रुपये प्रथम पक्ष को एडवांस अदा करने का पाबन्द व जिम्मेदार होगा।

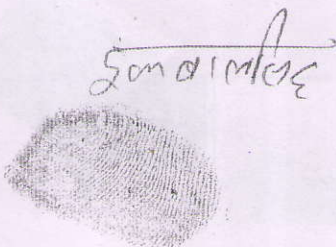
4-यह की दौरान किरायेदारी निम्नलिखित संपत्ति के रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

5- यह की द्वितीय पक्ष जिस कदर भी बिजली का उपभोग करेगा तो उसके बिलों को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

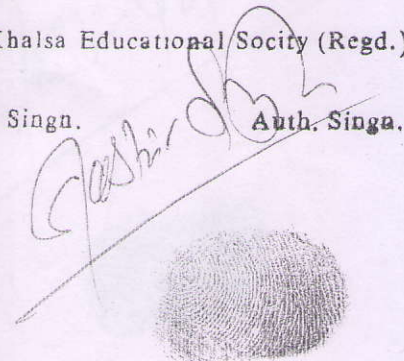
For Khalsa Educational Society (Regd.)

Auth. Singn.

Auth. Singn.







6- यह की द्वितीय पक्ष निम्नलिखित संपत्ति में कोई शिकमी किसी किरायेदार किराये पर नहीं रखेगा और नाही निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा किसी दीगर व्यक्ति को देगा ।

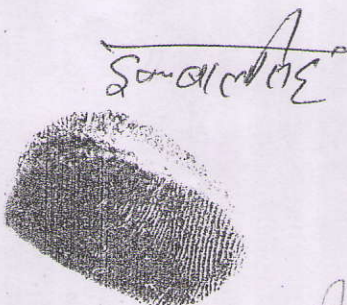
7- यह की प्रथम पक्ष किराया ना प्राप्त होने पर या किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रथम पक्ष इस किराया की निरस्त कर द्वितीय पक्ष को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकारी होगा ।

8-यह की द्वितीय पक्ष निम्नलिखित संपत्ति में निर्माण या तामीरात कर सकेंगे और इस सम्बन्ध में यदि सहारनपुर विकास प्राधिकरण या अन्य किसी विभाग से NOC या नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता हो तो करा सकेगा ।

9-यह की द्वितीय पक्ष उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात निम्नलिखित संपत्ति को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष को देने का पाबन्द व जिम्मेदार होगा ।

#### तफसील जायदाद

संपत्ति रकबई 7588 वर्गमीटर मय कमरे मय छत मय समस्त तामीरून अंदरूनी व बैरूनी जो उक्त संपत्ति में निर्मित है मुतालिका खसरा संख्या 842 मिनजुमला ,848/2,847,846,827,826 वाके देहरादून रोड ग्राम सड़क दूधली परगना तहसील व जिला सहारनपुर मय जुमला हक हकूक हर किसम इस्तेमाल के ।





For Khalsa Educational Society (Regd.)

Auth. Singn.

Auth. Singn.

